-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना नरैनी के ग्राम हड़हा में ब्लाइंड मर्डर की घटना का थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण । पुत्र ने ही जमीन और रुपये हड़पने के विवाद को लेकर की थी गोली मारकर हत्या। अपने पिता के करीबी मित्र के साथ मिलकर रची थी हत्या की पूरी योजना।**
- **दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा किया गया गिफ्तार । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस व दो जिन्दा कारतूस बरामद। अभियुक्त पुत्र द्वारा बड़ी चालाकी से गुमराह करते हुए अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई थी तहरीर।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम हड़हा में हुए ब्लाइंड मर्डर की घटना का थाना नरैनी पुलि द्वारा सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त पुत्र तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम हड़हा में दिनांक 26/27.09.2025 की रात्रि लगभग 01.30 बजे ग्राम हड़हा के रहने वाले मंसूर खान की अपने घर में सोते समय अज्ञात द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पुत्र मासूक खान की तहरीर पर थाना नरैनी मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्णकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। क्राइम सीन की बारीकी से जांच एवं घटनास्थल से प्राप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों के विवेचन से पुलिस को प्रथम दृष्टया किसी परिचित व्यक्ति द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना प्रतीत हो रहा था जो मृतक के सोने से पूर्व ही वहां मौजूद रहा हो। जांच एवं विवेचना तथा मृतक के करीबियों से पूछताछ के क्रम में पुलिस का शक स्वयं मृतक के पुत्र की ओर गया। पुलिस द्वारा मृतक के पुत्र मासूक खान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अपने सहयोकी की मदद से कारित करना स्वीकार किया। उसने बताया कि उसके दादा ने सेवा सत्कार करने पर अपनी मृत्यु से पूर्व 06 बीघा जमीन उसके नाम कर दी थी। उसके पिता (मृतक) ने उसकी शादी करवाने तथा उसका घर बनवाने के नाम पर उसकी 04 बीघा जमीन 44 लाख रुपये में बिकवी दी तथा उसे मात्र 05 लाख रुपये दिए साथ ही घर बनवाकर आधे घर पर कब्जा कर लिया। मृतक ने अपने पुत्र (अभियुक्त) से वादा किया था कि मरने से पहले वह अपनी 03 बीघा जमीन उसके नाम कर देगा। लेकिन अभियुक्त को उसके मित्र ने (सह-अभियुक्त) ने बताया कि उसका पिता 5वीं शादी करने जा रहा है और जिससे शादी कर रहा है वहां पहले से तय हुआ है कि शादी से पूर्व वह अपनी पूरी सम्पत्ति उस महिला के नाम करेगा। मृतक मंसूर ने अपने करीबी मित्र इकबाल हुसैन (सह-अभियुक्त) को 07 बिस्वा जमीन

बेचने का वादा किया था परन्तु वह बेच नहीं रहा था, इसके कारण इकबाल हुसैनी भी उससे खुन्नस खाएं हुए था । इसी वहज से उसने अपने दोस्त के पुत्र मासूक खान को भड़काया कि तुम्हारा पिता तुम्हारी सारी सम्पत्ति हड़प गया और 5वीं शादी कर रहा है जिसे वह अपनी शेष सम्पत्ति भी दे देगा । अगर मैं होता तो उसे रास्ते से हटा देता । इकबाल हसन ने अभियुक्त मासूक खान के अवैध तमंचा व कारतूस दिया और कहा कि अपने पिता को रास्ते से हटा दो नहीं तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा । मासूक खान ने दिनांक 26/27.09.2025 की रात्रि मंसूर खान की अवैध तमंचे से सीने पर 02 गोली मारकर हत्या कर दी, उसके उपरांत उसने वहां दूसरे कमरे में लेटी अपनी दिव्यांग बहन जो बिस्तर से उठ नहीं सकती, से कहा कि किसी को बताना नहीं कोई पूछे तो कहना की कोई अज्ञात व्यक्ति आया था जिसने गोली मारकर हत्या की और दरवाजे से भाग गया, यही बात उसने अपनी पत्नी से भी कही । पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से उसने थाना नरैनी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पिता की हत्या की तहरीर दी । दोनों अभियुक्तों के पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है ।

बरामदगी –

- 01 अवैध तमंचा (घटना में प्रयुक्त)
- 02 खोखा कारतूस (घटना में प्रयुक्त)
- 02 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मासूक खान पुत्र मंसूर खान उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी हड़हा थाना नरैनी जनपद बांदा,
2. इकबाल हुसैन पुत्र जमील हुसैन उम्र लगभग 58 वर्ष निवासी हड़हा थाना नरैनी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 323/25 धारा 103(1)/61 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार तिवारी प्र0निरी0 नरैनी
2. उ0नि0 श्री मो0 इबरार सिद्दीकी
3. हे0का0 नागेश कुमार
4. हे0का0 रामसिंह पटेल
5. का0 अनूप कुमार मिश्रा